जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 24-02-2021**

आज दिनांक 24.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 01अदद चोरी की मोटरसाइकिल मय कूटरचित नम्बर प्लेट के साथ अभियुक्त छविलाल उर्फ छब्बे पुत्र सागर निवासी मैनाभागर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तारी- आज दिनांक 24.02.2021 को समय करीब 8.30 बजे उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के साथ अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लखनापार तिराहे पर मौजूद थे कि मैनसिंर की तरफ से एक व्यक्ति एचएफ डीलक्स (रजि0नं0- यूपी 32 बीएफ 4345) लेकर आ रहा था जिसे रोकने का इशारा किया गया तो भागने लगा जिसे किसी तरह घेर कर पकड़ा गया।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताय़ा कि उक्त गाड़ी चोरी की है जिसे अपने साथी अनुज यादव पुत्र पारस यादव निवासी बुढियाबारी डोहरिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के साथ सहजनवा बाजार जनपद गोरखपुर से चुराया था और इसकी पहचान छुपाने के उद्देश्य से इसका रजि0नम्बर बदल कर कार का नम्बर लगा दिया गया है इसका असली रजि0 नम्बर यूपी 58 जे0 6628 है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 61/21 धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 कौशल किशोर सिंह, का0 रविकान्त यादव,का0 प्रभात, का0 संजय, का0 राकेश गौड़।

45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 15-15-15 लीटर (कुल 45 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- अन्तराम पुत्र सुरेश निवासी गागरगाड़ 2- राजेन्द्र पुत्र फुलवास निवासी गागरगाड़ 3-जसवन्त पुत्र श्यामदेव निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरगनर को 15-15-15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 86/21, 87/21 व 88/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, हे0का0 सन्तोष सिंह, हे0का0 अशोक कुमार, हे0का0 विनोद यादव।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता उमेश चौहान पुत्र जवाहिर निवासी घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 84/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री चन्दन कुमार, हे0का0 रजनीश यादव, हे0का0 अजीत सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 12 वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 08 वारण्टी नाम पता 1-रामनयन पुत्र रामलाल 2-चांदमती पत्नी रामनयन निवासीगण छपरा मगर्वी 3- मदन पुत्र सम्पत निवासी रोसया बाजार 4-रामसुमेर पुत्र विश्वम्भर निवासी नकहा नगुई 5- हनुमान प्रजापति पुत्र तेरस निवासी सोनाड़ी 6-अजय पुत्र हनुमान निवासी सोनाड़ी 7- मंगल पुत्र रामअवध निवासी रामपुर मध्य 8- छट्ठू पुत्र रामअवध निवासी रामपुर मध्य थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री मनोज पटेल, उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, का0 राजन खरवार, का0 हरिशंकर गौड़, हे0का0 संतोष सिंह, म0का0 सौम्या पाण्डेय।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता सुनील पुत्र फूलचन्द निवासी डुमरिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह, का0 कामेश्वर त्रिपाठी ।

थाना महुली पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता गोविन्द पुत्र बांके बेल्दार निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, हे0का0 राजेश प्रसाद।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1-सुदामा पुत्र छोटेलाल निवासी जंगलबेलहर 2- राधेश्याम पुत्र महातम निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद यादव, का0 रोहित, का0 प्रदीप ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना को0 खलीलाबाद द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा बीमार पशु का कराया गया इलाज – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कटका से इवेन्ट संख्या 07332 से कालर ने लावारिस पशु के बीमार होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर पशु चिकित्सक को बुलवाकर बीमार पशु का इलाज करवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर बीमार पशु का इलाज कराकर समाज में पुलिस के मानवीय संवेदना के उद्देश्यों को पूर्ण किया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 फूलेना प्रसाद, आ0 हरिशंकर यादव, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।